

निरीक्षण प्रतिवेदन



अंचल कार्यालय - दुर्गावती
निरीक्षण की तिथि - 08.05.2004

डॉ० बी० राजेन्दर, भा.प्र.से.
समाहर्ता, कैमूर (भभुआ)

निरीक्षण प्रतिवेदन



अंचल कार्यालय – दुर्गावती

निरीक्षण की तिथि – 08.05.2004

डा० बी० राजेन्द्र भा० प्र० से०
समाहर्ता, कैमूर (भुआ)

डा० बी० राजेन्द्र,भा.प्र.से. समाहर्ता एवं जिलाधिकारी कैमूर(भभुआ) द्वारा दिनांक-08.05.2004 को अंचल कार्यालय दुर्गावती का किये गये निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी ।

परिचय

अंचल कार्यालय दुर्गावती दिनांक-29.10.81 को प्रखण्ड कार्यालय से अलग होकर स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया । इसके पूर्व यह कार्यालय दुर्गावती प्रखण्ड कार्यालय के साथ ही चल रहा था । कार्यालय की जिला मुख्यालय कैमूर(भभुआ) से दूरी लगभग 25 किलोमीटर है तथा अनुमण्डल कार्यालय मोहनियां से इसकी दूरी 10 किलोमीटर है । राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-2 एवं रेलवे लाईन इस अंचल से होकर गुजरती है । इस अंचल में दुर्गावती एवं कर्मनाशा नामक दो रेलवे स्टेशन एवं धनेच्छा नामक हाल्ट है । रेलवे स्टेशन पर सिर्फ पैसेन्जर ट्रेनें रुका करती थी लेकिन अभी हाल में एकमात्र दून एक्सप्रेस गाडी भी रुकने लगी है । इस अंचल के उत्तर में उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला एवं रामगढ़ अंचल, दक्षिण में चैनपुर एवं चांद अंचल, पूरब में मोहनियां अंचल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश अवस्थित है । आवागमन के दृष्टिकोण से यह स्थान सुविधाजनक है । इस अंचल में तीन नदियां हैं(1) कर्मनाशा (2) दुर्गावती (3) कोहिरा । यद्यपि कि दुर्गावती नाम का कोई गांव नहीं है लेकिन दुर्गावती नदी के नाम पर इस अंचल का नाम दुर्गावती रखा गया है । अंचल कार्यालय दुर्गावती सारंगपुर मौजा में अवस्थित है । कर्मनाशा नदी इस अंचल से होकर गुजरती है । कर्मनाशा बारहनासा नदी है तथा बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा को विभाजित करते हुए बहती है । इस नदी को लोग पवित्र नदी नहीं मानते हैं । इस अंचल में बहनेवाली दुर्गावती नदी भी रामगढ़ क्षेत्रा में जाकर कर्मनाशा में मिल जाती है । दुर्गावती नदी की उत्पत्ति कैमूर पहाडी के रैल फाल से हुई है । यहां की जमीन काफी उपजाउ है और कृषि के दृष्टिकोण से यह जमीन कीमती है । इस अंचल में कोहिरा डैम से नाहर निकलने के कारण जी.टी. से उत्तर की जमीन और अधिक उपजाउ है । ऐतिहासिक रूप में यहां पर एक मठ है जिसका नाम कुल्हडिया मठ है । इस अंचल में उच्च विद्यालय कर्णपुरा के नजदीक एक पोखरा है । इस पोखरा के निकट एक बाबा की समाधि है । आम लोगो में यह मान्यता है कि यदि बुखार से पीड़ित कोई व्यक्ति इस पोखरा में स्नान करके अपना कपड़ा छोड देता है तो उस समाधिपट बाबा की कृपा से उसका बुखार ठीक हो जाता है । इस बात की शास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करने की आवश्यकता है । अंचल कार्यालय दुर्गावती से 70 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश की प्रख्यात ऐतिहासिक नगरी वाराणसी अवस्थित है ।

दुर्गावती अंचल से संबंधित अन्य सूचनायें निम्न प्रकार हैं :-

(क) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इस अंचल की जनसंख्या-	110921
पुरुषों की संख्या-	57676
महिलाओं की संख्या-	53245
कुल साक्षरों की संख्या-	50516
पुरुष साक्षरों की संख्या-	33469
महिला साक्षरों की संख्या-	17047

प्रारम्भ से लेकर निरीक्षण की तिथि तक इस अचल में पदस्थापित अंचल अधिकारियों की दिवरणी निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	कब से पदस्थापित	कब तक पदस्थापित
1	श्री जगन्नाथ मण्डल	28.10.81	15.06.86
2	श्री गोपाल ओझा	16.06.86	21.07.87
3	श्री योगेन्द्र भगत	22.07.87	23.03.88
4	श्री हरिशंकर झा	24.03.88	29.11.88
5	श्री के.के. अग्रवाल	30.11.88	21.08.89
6	श्री गौरीशंकर राय	22.08.89	26.09.89
7	श्री श्रीराम तिवारी	27.09.89	28.09.98
8	श्री ज्ञानशंकर दास	29.09.89	15.06.95
9	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह	16.06.95	19.12.95
10	श्री उमाकान्त प्रसाद	20.12.95	10.08.96
11	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह	11.08.96	10.01.97
12	श्री मदन जी पाण्डेय	11.01.97	29.09.98
13	श्री संजय कुमार	30.09.98	30.07.99
14	श्री विजय कुमार सिंह	31.07.99	04.01.2000
15	श्री गिरिजा शंकर प्रसाद	05.01.2000	-----
16	श्री संजय कुमार	17.12.2000	06.08.2000
17	श्री राजीव कुमार सिंह	07.08.2000	12.11.2002
18	श्री राजेन्द्र राम	13.11.2002	09.07.2003
19	श्री विजय कुमार सिंह	14.07.2003	14.01.2004
20	श्री अनिल कुमार पाण्डेय	15.01.2004	अवतक

(2) भवन

अंचल कार्यालय दुर्गावती का अपना स्वतंत्रा भवन नहीं होने के कारण प्रखण्ड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय एक ही भवन में कार्यरत है। इस भवन की स्थिति ठीक है एवं हाल ही में रंगाई पोताई कराया गया है। अंचल अधिकारी एवं अंचल निरीक्षक के लिए कोई आवासीय भवन नहीं है। इसके साथ ही कर्मचारियों सहायकों एवं अनुसेवकों के लिए भी आवासीय भवन नहीं है। प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय जिस जमीन पर अवस्थित है वह जमीन सर्वे खतियान के अनुसार बिहार सरकार राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रखण्ड दुर्गावती के नाम पर खाता सं०-174 खेसरा संख्या-369 रकबा 13.46 एकड दर्ज है। इस जमीन की चहारदिवारी करा दी गयी है। इतने समय में भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार से पत्राचार किया जाय कि आवासीय भवन का निर्माण कराया जाय ताकि कर्मचारी एवं पदाधिकारी अपने मुख्यालय में रहकर कार्यों का सम्पादन कर सकें। अंचल कार्यालय भवन का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि सरकारी अभिलेख एवं पंजियां व्यवस्थित ढंग से नहीं रखे गये हैं आलमिरा टूटा हुआ पाया गया एवं अन्य महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों का रख रखाव सही नहीं है। अंचल अधिकारी दुर्गावती जो निरीक्षण के समय मौजूद थे को निदेश दिया गया कि कार्यालय में रखे गये सभी अभिलेखों का वर्गीकरण कराकर अलग अलग सूचीबद्ध करके रखा जाय। उसके बाद अभिलेख हस्तक अधिनियम के अन्तर्गत जो अभिलेख अभिलेखागार में जमा करने लायक हों उसे जमा करा दिया जाय तथा जो नष्ट करने लायक हों उसको नष्ट करने की कार्यवाही कर एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय। यदि अभिलेख हस्तक नियमावली की जानकारी नहीं हो तो इसकी जानकारी जिला गोपनीय शाखा से प्राप्त कर सकते हैं। बताया गया कि अंचल के सभी कागजात अत्यन्त ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि अंचल कार्यालय में अधिकांशतः जमीन से संबंधित कागजात होते हैं जो स्थायी अभिलेख हैं इन कागजातों से रैयतों की भावना जुड़ी रहती है। उसे हमेशा के लिए रखा जाता है। अंचल अधिकारी इन अभिलेखों पर विशेष ध्यान देकर योजनाबद्ध तरीके से संधारित कराना सुनिश्चित करें।

(3) प्रभार

श्री अनिल कुमार पाण्डेय, बिहार प्रशासनिक सेवा, 42वीं बैच के पदाधिकारी दिनांक-15.01.2004 से अंचल अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। इनके पूर्व श्री विजय कुमार सिंह अंचल अधिकारी दुर्गावती के प्रभार में थे। श्री मुन्द्रिका चौधरी अंचल निरीक्षक हैं जो दिनांक-05.01.2000 से अंचल निरीक्षक दुर्गावती के रूप में पदस्थापित है। इनके पूर्व इस अंचल के वरीय राजस्व कर्मचारी श्री उमाशंकर लाल अंचल निरीक्षक के प्रभार में थे। श्री वृजमोहन राय प्रधान सहायक के रूप में दिनांक-15.04.2000 से पदस्थापित है। इनके पूर्व श्री दशरथ प्रसाद नाजिर एवं प्रधान सहायक का कार्य करते थे। अंचल अधिकारी के पदस्थापन की विवरणी से संबंधित उत्तराधिकार पट अंचल अधिकारी के कार्यालय कक्ष में रखा गया है लेकिन अंचल निरीक्षक, प्रधान सहायक एवं नाजिर के बारे में तत्संबंधी विवरणी का उत्तराधिकार पट नहीं रखा गया है। निदेश दिया गया कि अंचल अधिकारी के साथ साथ प्रारम्भ से पदस्थापित अंचल निरीक्षक, प्रधान सहायक एवं नाजिर का भी उत्तराधिकार पट संधारित किया जाय ताकि यह पता चल सके कि किस अवधि में कौन पदस्थापित रहे हैं।

प्रारम्भ से लेकर निरीक्षण की तिथि तक इस अघल में पदस्थापित अघल अधिकारियों की दिवरणी निम्न प्रकार है-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	कब से पदस्थापित	कब तक पदस्थापित
			15 06 86
1	श्री जगन्नाथ मण्डल	28 10 81	21 07 87
2	श्री गोपाल आजा	16 06 86	23 03 88
3	श्री योगेन्द्र भगत	22 07 87	29 11 88
4	श्री हरिशकर झा	24 03 88	21 08 89
5	श्री के.के. अग्रवाल	30 11 88	26 09 89
6	श्री गोरीशकर राय	22 08 89	28 09 88
7	श्री श्रीराम तिवारी	27 09 89	15 06 95
8	श्री ज्ञानशकर दास	29 09 89	19 12 95
9	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह	16 06 95	10 08 96
10	श्री उमाकान्त प्रसाद	20 12 95	10 01 97
11	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह	11 08 96	29 09 98
12	श्री मदन जी पाण्डेय	11 01 97	30 07 99
13	श्री सजय कुमार	30 09 98	04 01 2000
14	श्री विजय कुमार सिंह	31 07 99	-----
15	श्री गिरिजा शकर प्रसाद	05 01 2000	06 08 2000
16	श्री सजय कुमार	17 12 2000	12 11 2002
17	श्री राजीव कुमार सिंह	07 08 2000	09 07 2003
18	श्री राजेन्द्र राम	13 11 2002	14 01 2004
19	श्री विजय कुमार सिंह	14 07 2003	अवतक
20	श्री अनिल कुमार पाण्डेय	15 01 2004	

(4) स्थापना

अंचल कार्यालय दुर्गावती में अंचल निरीक्षक, सहायकों, कर्मचारियों एवं अनुसेवकों के स्वीकृत बल एवं पदस्थापन की स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति	अभियुक्ति
1	अंचल अधिकारी	01	01	---	
2	अंचल निरीक्षक	01	01	---	
3	सहायक	07	05	02	एक जिला विकास शाखा में प्रतिनियुक्त
4	राजस्व कर्मचारी	11	09	02	
5	अंचल अमीन	01	01	---	
6	घालक	01	---	01	
7	अनुसेवक	04	04	---	दो जिला में प्रतिनियुक्त हैं

इस अंचल में सहायक का दो एवं राजस्व कर्मचारी का दो पद रिक्त है । 09 पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों के संबंध में बताया गया कि एक कर्मचारी शारीरिक रूप से कमजोर एवं कार्य करने में असमर्थ है इसलिए इनके स्थान पर अन्य कर्मचारी का पदस्थापन किया जाय । इसके साथ ही एक घालक का पद का भी पद स्वीकृत है जिसपर किसी का पदस्थापन नहीं हुआ है । निर्देश दिया गया कि इस संबंध में प्रस्ताव स्थापना समिति की बैठक में रखा जाय ।

इसके अतिरिक्त इस अंचल में पदस्थापित सहायकों एवं अनुसेवकों संबंधित पूर्ण विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदस्थापित कर्मचारियों का नाम	पदनाम	पतनाम पदस्थापन की तिथि	स्थापना पता	वर्तमान पता	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री मुन्दिबा चौधरी	अंचल निरीक्षक	05.01.2000	ग्राम-निखुआ पो-फतुहा, जिला पटना	मु.गादिन्दकआ शिवमंदिर क नजदीक ग्राम व पो फतुहा जिला पटना	
2	श्री बन्धु प्रसाद	अंचल अमीन	09.11.99	ग्राम सवार, पो सवार थाना करमचट जिलाकमुर	ग्राम सवार, पो सवार थाना करमचट जिलाकमुर	
3	श्री ब्रजमोहन राय	सहायक	15.07.99	ग्राम व पो-जटवार थाना लखी	ग्राम पो- जटवारथाना लखी	

				जिला भोजपुर	जिला भोजपुर	
4	श्री भरत तिवारी	सहायक	01.10.98	ग्रामलोकाडिहरीपो0-करुप इन्दरहिया जिला सासाराम	ग्राम लाकडिहरीपो0 करुप इन्दरहिया जिला सासाराम	जिला विकास मंत्रप्रतिनियुक्त है
5	श्री जैनेन्द्र कुमार सिंह	सहायक	15.07.99	ग्राम शिवपुर थाना भभुआ जिला कैमूर	ग्राम शिवपुर थाना भभुआ जिला कैमूर	
6	श्री कुमार ओमप्रकाश	सहायक	15.05.99	ग्राम पंचपोखरी पो0 व थाना कुदराजिला कैमूर	पंचपोखरी पो0 व थाना कुदराजिला कैमूर	
7	श्री कुंवर प्रसाद श्रीवास्तव	सहायक	15.06.02	ग्राम व पो0 बेलसड थाना बरौनी जिला गोपालगंज	ग्राम व पो0 बेलसड थाना बरौनी जिला गोपालगंज	
8	मु0 तनुका कुंवर	अनुसंधिका	21.05.91	ग्राम दतियाद पो0 व थाना दुर्गावती	ग्राम दतियाव पो0 व थाना दुर्गावती	
9	श्री गुलाब सेठ	अनुसंधक	01.08.99	ग्राम अखलासपुर पो0 व थाना भभुआ	ग्राम अखलासपुर पो0 व थाना भभुआ	जिला मुख्यालय में प्रतिनियुक्त
10	श्री रामाशंकर सिंह	अनुसंधक		ग्राम अखलासपुर पो0 व थाना भभुआ	ग्राम अखलासपुर पो0 व थाना भभुआ	
11	श्री सतीश अली	अनुसंधक	16.10.98	ग्राम अखलासपुर पो0 व थाना भभुआ	ग्राम अखलासपुर पो0 व थाना भभुआ	
12	श्री रामरवर राम	राजस्व कर्मचारी	29.10.99	ग्राम-गुलजारपुर पो0 व थाना-सहारजिलाभोजपुर	ग्राम-गुलजारपुर पो0व थाना-सहारजिला भोजपुर	
13	श्रीउमाशंकरलाल	राजस्व कर्मचारी	01.09.94	ग्राम व पो0- दामपाली चन्दवा जिला भोजपुर	ग्राम व पो0- दामपाली चन्दवा जिला भोजपुर	
14	श्री रामएकबाल शर्मा	राजस्व कर्मचारी	01.10.99	ग्राम मुवारकपुर पो0 पिपरिया थाना मोहनियां	ग्राम मुवारकपुर पो0 पिपरिया थाना मोहनियां	
15	श्री लालबाबूसिंह	राजस्वकर्मचारी	30.07.96	ग्राम-जिगनीपो0 मनिहारी थाना भभुआ।	ग्राम-जिगनी पो0 मनिहारी थाना भभुआ ।	
16	श्री शंकर शरण उपाध्याय	राजस्व कर्मचारी	13.11.99	ग्राम-कोहारी पो0- दरौली थाना भभुआ	ग्राम-कोहारी पो0-दरौली थाना भभुआ	
17	श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	राजस्व कर्मचारी	28.05.98	ग्राम व पो0 बरुहीथाना सहार जिला भोजपुर	ग्राम व पो0 बरुही थाना सहार जिला भोजपुर	
18	श्री चन्द्रिका प्रसाद सिंह	राजस्व कर्मचारी	09.11.97	ग्राम व पो0-एकवना थाना बडहरा जिला भोजपुर	ग्राम व पो0- एकवनाथाना बडहरा जिला भोजपुर	
19	श्री विजय राम	राजस्व कर्मचारी	01.11.99	ग्राम मेरा पो0-मगरा थाना इमामगंज,जिला गयाबिहार	ग्राम मेरा पो0-मगरा थाना इमामगंज,जिला गयाबिहार	
20	श्री लक्ष्मण प्रसाद	राजस्व कर्मचारी	27.05.98	ग्राम चिकटौली पो0- आरा जिला भोजपुर ।	ग्राम चिकटौली पो0-आरा जिला भोजपुर ।	

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस अंचल में पदस्थापित अधिकांश कर्मचारी एवं सहायक तीन वर्ष से अधिक की अवधि से पदस्थापित हैं । अतः इस विषय को स्थापना समिति की बैठक में रखा जाय । अंचल निरीक्षक भी तीन वर्ष से अधिक अवधि से पदस्थापित हैं । अतः उन्हें अन्यत्र पदस्थापन हेतु आयुक्त पटना प्रमण्डल पटना से अनुरोध करें ।

इसके अतिरिक्त इस अंचल में पदस्थापित दफादार एवं चौकीदारों से संबंधित पूर्ण विवरणी निम्न प्रकार है :-

1	श्री रामअवध पाण्डेय	दफादार	01.01.90	ग्राम-तिराजपुर पो0- देवहलिया थाना-दुर्गावती कैमूर	ग्राम-तिराजपुर पो0- देवहलिया थाना- दुर्गावती कैमूर
2	श्री सूबदार सिंह	चौकीदार	04.01.99	ग्राम सरैया टोला खजूरा थाना दुर्गावती	ग्राम सरैया टोला खजूरा थाना दुर्गावती
3	श्री सूयापति सिंह यादव	चौकीदार	31.08.96	ग्राम धनच्छा थाना-दुर्गावती	ग्राम धनच्छा थाना-दुर्गावती
4	श्री जोगटू विन्द	चौकीदार	01.01.90	ग्राम रुईया पो0- भरिया थाना दुर्गावती	ग्राम रुईया पो0- भरिया थाना दुर्गावती
5	श्री नन्दकुमार कुर्मी	चौकीदार	11.02.93	ग्राम-मर्चाखिया पो0- पिपरिया थाना दुर्गावती	ग्राम-मर्चाखिया पो0- पिपरिया थाना दुर्गावती
6	श्री बनारसी दुसाध	चौकीदार	01.01.90	ग्राम-मछनहट्टा पो0- दुर्गावती कैमूर	ग्राम-मछनहट्टा पो0- दुर्गावती कैमूर
7	श्री रामविलास अहिर	चौकीदार	01.01.90	ग्राम-साहपुर,पो0-कुडारी थाना दुर्गावती	ग्राम-साहपुर,पो0-कुडारी थाना दुर्गावती
8	श्री रामसिगार राम	चौकीदार	01.01.90	ग्राम-जमुरनी पो0- कर्मनाशा थाना दुर्गावती	ग्राम-जमुरनी पो0- कर्मनाशा थाना दुर्गावती
9	श्री साहन राम	चौकीदार	01.01.90	ग्राम व पो0-करारी थाना दुर्गावती ।	ग्राम व पो0-करारी थाना दुर्गावती ।
10	श्री राजवश दुसाध	चौकीदार	11.02.93	ग्राम- विछिया पचलिखि थाना दुर्गावती	ग्राम- विछिया पचलिखि थाना दुर्गावती
11	श्री रामसुदर्शन सिंह यादव	चौकीदार	01.01.90	ग्राम-बहरा पो0-दुर्गावती जिला कैमूर	ग्राम-बहरा पो0-दुर्गावती जिला कैमूर
12	श्री स्वामीनाथ यादव	चौकीदार	01.01.90	ग्राम कल्याणपुर पो0- कल्हनुआ थाना-दुर्गावती	ग्राम कल्याणपुर पो0- कल्हनुआ थाना-दुर्गावती
13	श्री मुन्शी पासवान	चौकीदार	11.02.93	ग्राम जवरी,पो0-पचलिखी थाना दुर्गावती ।	ग्राम जवरी,पो0-पचलिखी थाना दुर्गावती ।
14	श्री मुन्ना राम	चौकीदार	11.02.93	ग्राम व पो0-मसाढा थाना दुर्गावती	ग्राम व पो0-मसाढा थाना दुर्गावती
15	श्री रामअशीष पासवान	चौकीदार	31.08.96	ग्राम राहुआ खूद पो0 दुर्गावती जिला कैमूर	ग्राम राहुआ खूद पो0 दुर्गावती जिला कैमूर
16	श्री भरतनाथ दुसाध	चौकीदार	01.01.90	ग्राम व पो0-कावलासपुर थाना दुर्गावती कैमूर	ग्राम व पो0-कावलासपुर थाना दुर्गावती कैमूर

17	श्री कमला पासवान	चौकीदार	11.02.93	ग्राम-तिराजपुर पो0- देवहलिया दुर्गावती कंमूर	ग्राम-तिराजपुर पो0- देवहलिया दुर्गावती कंमूर
18	कमला यादव	चौकीदार	31.08.96	ग्राम धनेच्छा,पो.व थाना दुर्गावती जिला कंमूर	ग्राम धनेच्छा,पो.व थाना दुर्गावती जिला कंमूर
19	श्री राम जी पासवान	चौकीदार	31.08.96	ग्राम नुआव पो0 व थाना दुर्गावती	ग्राम नुआव पो0 व थाना दुर्गावती
20	श्री सुबदार राजभर	चौकीदार	11.02.93	ग्राम धनसराय पो0 कर्मनाशा अचल दुर्गावती	ग्राम धनसराय पो0 कर्मनाशा अचल दुर्गावती
21	श्री चन्दना यादव	चौकीदार	01.01.90	ग्राम-डूमरीपो0कविलासपुर थाना दुर्गावती कंमूर	ग्राम-डूमरीपो0कविलासपुर थाना दुर्गावती कंमूर
22	श्री शिवधर यादव	चौकीदार	31.08.96	ग्राम डहला,पो0 व थाना दुर्गावती कंमूर ।	ग्राम डहला,पो0 व थाना दुर्गावती कंमूर ।
23	श्री रमेश यादव	चौकीदार	31.03.96	ग्राम धनिआरी पो0 व थाना दुर्गावती	ग्राम धनिआरी पो0 व थाना दुर्गावती
24	श्री महादेव दुसाध	चौकीदार	11.02.93	ग्राम अर्वाहिया पो0 पिपरिया, थाना दुर्गावती जिला कंमूर	ग्राम अर्वाहिया पो0 पिपरिया, थाना दुर्गावती जिला कंमूर
25	श्रीबलिरामपासवान	चौकीदार	31.08.96	ग्राम सावठ पो0-दुर्गावती	ग्राम सावठ,पो0-दुर्गावती
26	श्री कमलेश पासवान	चौकीदार	25.09.00	ग्राम- कल्याणपुर, पो0- कल्हनुआ, दुर्गावती	ग्राम- कल्याणपुर, पो0- कल्हनुआ, दुर्गावती
27	श्री सुरन्त यादव	चौकीदार	28.05.00	ग्राम अकाढी पो0-दुर्गावती	ग्राम अकाढी पो0-दुर्गावती
28	श्री उदय नारायण राम	चौकीदार	28.05.00	ग्राम सरियाव,पो0व थाना- दुर्गावती कंमूर	ग्राम सरियाव,पो0व थाना- दुर्गावती कंमूर
29	श्री महेंद्र राम	चौकीदार	28.05.00	ग्राम पिपरी पो0 कर्मनाशा थाना दुर्गावती कंमूर	ग्राम पिपरी पो0 कर्मनाशा थाना दुर्गावती कंमूर
30	श्री विजयशकर पासवान	चौकीदार	16.07.00	ग्राम लरमा,पो0-कर्मनाशा थाना दुर्गावती कंमूर	ग्राम लरमा,पो0-कर्मनाशा थाना दुर्गावती कंमूर
31	श्री ब्रजश पासवान	चौकीदार	15.09.01	ग्रामकर्णपुरापो0वथाना - दुर्गावती कंमूर	ग्राम कर्णपुरा पो0 व थाना - दुर्गावती कंमूर
32	श्री राजकुमार प्रसाद	चौकीदार	21.12.01	ग्राम डिडखिली,पो0- अकाढी दुर्गावती कंमूर	ग्राम डिडखिली,पो0- अकाढी दुर्गावती कंमूर
33	श्री गारख दुसाध	चौकीदार	01.01.90	ग्राम काटसा दुर्गावती कंमूर	ग्राम काटसा दुर्गावती कंमूर
34	श्री अर्जात कुमार	चौकीदार	27.09.02	ग्राम धनीपुर पो0 व थाना दुर्गावती जिला कंमूर	ग्राम धनीपुर पो0 व थाना दुर्गावती जिला कंमूर
35	श्री अमित कुमार पाण्डेय	चौकीदार	14.07.03	नय नियुक्त	नय नियुक्त

इस अंचल में दफादार के तीन पद स्वीकृत हैं जिसके विरुद्ध एक दफादार पदस्थापित हैं ! इसी प्रकार चौकीदार का पद स्वीकृत है जिसके विरुद्ध पदस्थापन 35 है अभी चौकीदार के 07 पर रिक्त है ।

(5) पूर्व निरीक्षण

प्रारम्भ से लेकर आज तक अंचल कार्यालय दुर्गावती का निरीक्षण निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा किया गया है :-

क्रमांक	निरीक्षण करनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	निरीक्षण की तिथि	अनुपालन की तिथि
1	श्री एस के सिन्हा भा प्र से समाहर्ता रोहतास	13.03.1989	08.08.1989
2	श्री आर के श्रीवास्तव भा प्र से जिला पदा०, कैमूर	31.01.1991	27.03.1992
3	श्री गोपी चन्द दास अपर समाहर्ता रोहतास	27.03.1989	22.08.1989
4	श्री मदन मोहन वर्मा, अपर समाहर्ता कैमूर	29.03.1994	08.07.1995
5	श्री रामचन्द्र चौधरी, अनु० पदा०, भमुआ	31.03.1982	31.05.1982
6	श्री एम के सिन्हा भा प्र से, अनु० पदा०, भमुआ	13.01.1983	12.03.1983
7	श्री अरुण झा भा प्र से अनु० पदा०, भमुआ	23.03.1984	02.05.1984
8	श्री दामोदर सिन्हा, अनु० पदा०, भमुआ	28.06.1985	13.02.1986
9	श्री विष्णु कुमार भा प्र से, अनु० पदा०, भमुआ	18.03.1986	24.07.1986
10	श्री क पी. रमैया, अनु० पदा० भमुआ	28.02.1989	01.08.1989
11	श्री नारायण प्रसाद सिंह, अनु० पदा० नाहनियां	29.01.1994	26.06.1995
12	श्री जयनारायण सिंह, अनु० पदा० नाहनियां	08.08.1997	06.09.1997
13	श्री पी.सी. कसरवानी, उप समाहर्ता प्र.मु.सु.भमुआ	19.09.1982	30.09.1982
14	श्री पी.सी. कसरवानी, उप समाहर्ता प्र.मु.सु.भमुआ	25.01.1983	14.02.1983
15	श्री पी.सी. कसरवानी, उप समाहर्ता प्र.मु.सु.भमुआ	06.09.1983	12.10.1983
16	श्री पी.सी. कसरवानी, उप समाहर्ता प्र.मु.सु.भमुआ	02.04.1984	02.05.1985
17	श्री पी.सी. कसरवानी, उप समाहर्ता प्र.मु.सु.भमुआ	01.02.1985	21.08.1985
18	श्री रामधनी तिवारी, उ०स० प्रभारी भु०सु० भमुआ	10.04.1986	30.04.1986
19	श्री हरिहर प्रसाद सिंह, उ०स० प्रभारी भु०सु० भमुआ	20.07.1990	07.02.1991

उपरोक्त विवरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस अंचल का कुल 19 उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है। वर्ष 1990 के बाद किसी भी निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा इस कार्यालय का निरीक्षण नहीं किया गया है। निरीक्षी पदाधिकारियों में से मात्र अनुसूचित पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता की निरीक्षण टिप्पणी के लिए रक्षी सचिका सधारित की गयी है लेकिन अन्य निरीक्षी पदाधिकारियों के निरीक्षण टिप्पणी की रक्षी सचिका की मांग करने पर उसे उपस्थापित नहीं किया जा सका। यह खेदजनक स्थिति है।

निर्देश दिया गया कि सभी निरीक्षी पदाधिकारी के लिए अलग अलग रक्षी संचिका संधारित की जाय एवं उसमें दिये गये निर्देशों का अनुपालन समय सीमा के अन्दर सुनिश्चित किया जाय ।

अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी का अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट हुआ कि अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा अंचल कार्यालय दुर्गावती का निरीक्षण किया गया है लेकिन कार्यालय से रक्षी संचिका की मांग करने पर उपलब्ध नहीं कराया जा सका । यह कार्य कार्यालय की लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है । बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 60 के अनुसार सभी कोटि के पदाधिकारियों के लिए अलग अलग निरीक्षण टिप्पणी के लिए रक्षी संचिका संधारित किया जाना है जो नहीं किया गया है । अंचल अधिकारी को आदेश दिया गया कि कार्यालय में छानबीन कर सभी निरीक्षी पदाधिकारियों की अलग अलग रक्षी संचिकाओं का संधारण सुनिश्चित करावे । रक्षी संचिका के संधारण की जवाबदेही प्रधान सहायक की है अतः यदि रक्षी संचिका विहित प्रक्रिया के अनुरूप संधारित नहीं होती है तो जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए संबंधित प्रधान सहायक के विरुद्ध अभिलेख को गायब करने हेतु प्राथमिकी दर्ज करें । अनुमण्डल पदाधिकारी की निरीक्षण टिप्पणी अत्यन्त ही जीर्णोद्धार अवस्था में रखी गयी है । यह प्रधान सहायक के लापरवाही का द्योतक है । निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण टिप्पणी को गार्ड फाईल में साटकर रखने हेतु पूर्व में ही आदेश दिया जा चुका है लेकिन प्रधान सहायक अपनी जिम्मेवारी को निभाने में विफल रहे हैं ।

जब भी किसी कार्यालय का निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाता है तो निरीक्षण टिप्पणी प्राप्त होने के बाद उस कार्यालय की जिम्मेवारी बनती है कि निरीक्षण टिप्पणी को पदाधिकारीवार क्रमानुसार गार्ड फाईल में संधारित किया जाय । बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली 52 एवं 80 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक नियंत्री पदाधिकारी को वर्ष में दो बार अपने कार्यालय का निरीक्षण करना है । लेकिन किसी भी अंचल अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय का निरीक्षण नहीं किया गया है । यह अत्यन्त ही दुःखद स्थिति है । अंचल अधिकारी को आदेश दिया गया कि भविष्य में इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें और वर्ष में दो बार अपने कार्यालय का निरीक्षण स्वयं करें । निरीक्षण टिप्पणी तैयार कर एक प्रति जिला राजस्व शाखा को उपलब्ध करावें एवं उसमें दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए राजस्व शाखा को सूचित करें । अन्य सभी निरीक्षी पदाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि अपने अपने कार्यालयों का निरीक्षण वर्ष में दोबार करना सुनिश्चित करें ।

इत्तक अतिरिक्त समाहर्ता द्वारा बताया गया कि बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 60 के तहत अलग अलग निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए अलग अलग रक्षी संधारित करने का प्रावधान किया गया है । निरीक्षण टिप्पणी प्राप्त होने के बाद उसका अनुपालन प्रतिवेदन भोजना भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है अन्यथा निरीक्षण करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । पूर्व के पदाधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचल कार्यालय दुर्गावती द्वारा उसमें दिये गये निर्देश का अनुपालन ठीक ढंग से नहीं किया गया है । मात्रा खानापूरी की गयी है । अंचल अधिकारी दुर्गावती को निर्देश दिया गया कि निरीक्षण टिप्पणियों को पढ़े तथा उसमें दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करावें । निरीक्षण टिप्पणी को पढ़ने से जानकारी प्राप्त होती है । यह कार्यालय की धराहर है इसका सुरक्षित रखना कार्यालय की जिम्मेवारी है ।

(6) पत्राचार

बिहार अभिलेख हस्तक के नियम 8(1) एवं (2) प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी संधारित है । लम्बित पत्रों को लाल रखाही से अग्रसारित नहीं किया गया है । कार्यालय में विगत तीन वर्षों के पत्राचार की स्थिति निम्नवत है :-

क्रमांक	वर्ष	प्राप्त पत्रों की सं०	निर्गत पत्रों की संख्या
1	2001-2002	646	497
2	2002-2003	552	427
3	2003-2004	296	528
4(8मई04तक)	2004-2005	196	207

प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी संधारित की गयी है जिसका अवलोकन किया गया और पाया गया कि दिनांक-28.04.2004 के बाद कोई पत्र प्राप्त नहीं दिखाये गये हैं । पूर्व सूचना के बावजूद जांच हेतु पहुंचने के बाद भी अंचल अधिकारी द्वारा समुचित ढंग से निरीक्षण टिप्पणी तैयार नहीं की गयी है मात्र खानापुरी की गयी है ।

(क) प्राप्त पत्रों की पंजी:-

प्राप्त पत्रों की पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निरीक्षण की तिथि तक अंचल कार्यालय दुर्गावती में कुल 196 पत्र प्राप्त हुए हैं जो दिनांक-28.04.2004 तक की प्रविष्टि के अनुसार है । इसके बाद निरीक्षण की तिथि 08.05.2004 तक अवश्य ही और पत्र प्राप्त हुए होंगे जिसकी प्रविष्टि नहीं की गयी है । ऐसा प्रतीत होता है कि प्राप्त होनेवाले सभी पत्रों को नियमित रूप से नहीं भरा जाता है । प्राप्त पत्रों की पंजी के सभी कालम भी नहीं भरे गये हैं । यह कार्यालय की लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है । अंचल अधिकारी सहित कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों को आदेश दिया गया कि नियमित रूप से निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पंजी के सभी कालम भरे जाय अंचल अधिकारी नियमित रूप से इसकी समीक्षा करें । इसके अतिरिक्त अंचल अधिकारी को यह भी आदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर अपने कार्यालय की समीक्षा कर यह प्रतिवेदित करें कि प्राप्त होनेवाले सभी पत्र संचिका में रखे गये अथवा नहीं और उसके निष्पादन की क्या स्थिति है ।

(ख) निर्गत पत्रों की पंजी :-

निर्गत पत्रों की पंजी का अवलोकन किया । दिनांक-06.05.2004 तक कुल 207 पत्र निर्गत किये गये हैं । निर्गत किये गये पत्र संख्या- 191,192,193,194,195,196,197 के सामने संचिका संख्या अंकित नहीं किया गया है जिससे यह पता चलना मुश्किल है कि निर्गत किया गया पत्र किस संचिका में रखा गया है । निर्गत करनेवाले सहायक की हस्तलिपि बहुत ही खराब है और पढ़ने योग्य नहीं है । निदेश दिया गया कि अच्छे हस्तलिपि वाले सहायक को इसका प्रभार दिला दिया जाय क्योंकि पत्राचार किसी कार्यालय का दृश्य

होता है और प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी उसके सिरा और धमनी के रूप में कार्य करता है । अगर पत्राचार सही ढंग से संधारित नहीं होता है तो उस पदाधिकारी की कार्यक्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगता है । अंचल कार्यालय दुर्गावती के पत्राचार की प्रक्रिया अत्यन्त ही निराशाजनक है एवं विहित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है । इसमें सुधार की आवश्यकता है ।

(7) अनुक्रमणी पंजी (पंजी 62) :-

बिहार अभिलेख हस्तक के नियम 12 के अनुसार अनुक्रमणी पंजी संधारित की गयी है जिसका अवलोकन किया और पाया कि 53 विषयों पर संचिकायें खोली गयी हैं । इस अनुक्रमणी पंजी में Index नम्बर ठीक से नहीं दिया गया है । निदेश दिया गया कि पूर्व में निर्गत निदेश के अनुरूप अनुक्रमणी पंजी का संधारण सुनिश्चित किया जाय । ऐसा प्रतीत होता है कि अंचल अधिकारी के द्वारा इन नामलों में कोई अमिस्ताचि नहीं ली जा रही है । अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि विहित प्रक्रियानुसार अनुक्रमणी पंजी का संधारण कराकर अधोहस्ताक्षरी को सूचना दें ।

(8) सेवा पुस्त

सेवा पुस्तिका का अवलोकन किया गया और पाया गया कि श्री जैनेन्द्र कुमार सिंह नाजिर की सेवा पुस्तिका में विनांक-13.08.98 तक ही उपार्जित अवकाश की गणना की गयी है उसके बाद का कोई उल्लेख नहीं । सरकारी प्रावधान के अनुसार प्रत्येक वर्ष सेवा पुस्तिका में अवकाश की गणना करके उसकी प्रविष्टि करनी है जो नहीं किया गया है । यही स्थिति सभी कर्मचारियों के सेवा पुस्तिका की पाई गयी । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विन्दुओं के बारे में की गयी पृच्छा का जवाब भी न तो प्रधान सहायक द्वारा दिया जा सका और न ही अंचल अधिकारी द्वारा :-

1. किस शीर्ष से वेतन का भुगतान किया जाता है ?
2. वार्षिक वेतन वृद्धि की क्या स्थिति है ? वार्षिक वेतन वृद्धि देने के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से सत्यापित कराया जाना है
3. स्थानान्तरण होने पर उसकी प्रविष्टि की जाती है अथवा नहीं ?
4. यदि दण्ड दिया जाता है तो उसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से तथा प्रशंसा की प्रविष्टि हरा स्याही से करने का प्रावधान है उसको किया जाता है कि नहीं ?
5. प्रत्येक पांच वर्ष पर हस्ताक्षर को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना है उसको किया जाता है कि नहीं ?

अंचल अधिकारी दुर्गावती को आदेश दिया गया कि सभी उपरोक्त भागलों की जांच पड़ताल के परचात एक सप्ताह के अन्दर यह प्रतिवेदन देंगे कि उपरोक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करा दिया गया है ।

सेवा पुस्त की पंजी संधारित नहीं की गयी है । सभी प्रकार की पंजियां संधारित करने हेतु पूर्व में निदेश दिया जा चुका है जिसका अनुपालन किया जा रहा प्रतीत नहीं हो रहा है । इसपर असतोष व्यक्त करते हुए पुनः निदेश दिया गया कि कर्मचारियों की सेवा पुस्त पंजी संधारित की जाय ।

इस कार्यालय में सेवा पुस्तिका संधारित गयी है जिसका अवलोकन किया और पाया कि चौकीदारों की सेवा पुस्तिका के साथ कुछ ऐसे चौकीदारों की सेवा पुस्तिका रखी गयी है जो या तो सेवा निवृत्त हो चुके हैं अथवा जो मर चुके हैं । निदेश दिया गया कि मृत अथवा सेवा निवृत्त कर्मचारियों अथवा चौकीदारों की सेवा पुस्तिका कार्यरत कर्मचारियों/चौकीदारों से अलग रखी जाय ।

(9) उपस्थिति पंजी

उपस्थिति पंजी संधारित की गयी है जिसका अवलोकन किया । यह पंजी विहित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं संधारित की गयी है तथा उसकी स्थिति अत्यन्त ही जीर्ण शीर्ण स्थिति में है तथा अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिदिन इसकी जांच नहीं की जाती है । अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रतिदिन कार्यालय प्रारम्भ होने के आधा घंटा बाद एवं कार्यालय बन्द होने के आधा घंटा पूर्व पंजी की जांच कर अपना हस्ताक्षर किया जाय तथा उपस्थिति पंजी की मरम्मत कराकर साफ सुथरा स्थिति में रखा जाय ।

(10) भविष्य निधि पासबुक

भविष्य निधि पास बुक का अवलोकन किया और पाया गया कि श्री जैनेन्द्र कुमार सिंह एवं भरत तिवारी का पास बुक नहीं है । निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि का लेखा लोखा सही ढंग से संधारित नहीं हो पाने के कारण सेवा निवृत्त कर्मचारियों को भुगतान नहीं हो पाता है जिसके कारण वे न्यायालय की शरण में जाने की विवश होते हैं और प्रशासन को भी अनावश्यक परेशानी होती है । अतः निदेश दिया गया कि कार्यालय में पदस्थापित सभी कर्मचारियों के भविष्य निधि में प्रत्येक वर्ष की गयी कटांती की विवरणी जिला भविष्य निधि कार्यालय से सत्यापित कराकर कार्यालय में संधारित किया जाय ताकि आवश्यकतानुसार भविष्य निधि से अग्रिम की निकासी में किसी कर्मचारी को कोई परेशानी न हो । इसके साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि पूर्व के सेवा काल की विवरणी भी संबंधित कार्यालयों से प्राप्त कर जिला भविष्य निधि कार्यालय से सत्यापित करा लेना है । अंचल अधिकारी इस कार्रवाई को सुनिश्चित कराते हुए एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदित करें ।

(11) स्टाफ पंजी

यह पंजी संधारित नहीं की गयी है । नियमानुसार प्रत्येक कार्यालयों में स्टाफ पंजी का संधारण किया जाना है । निदेश दिया गया कि इस पंजी को संधारित किया जाय । अगले निरीक्षण के दौरान इसकी समीक्षा की जायेगी ।

(12) प्रभार पंजी

प्रभार पंजी का अवलोकन किया और पाया कि प्रभार पंजी अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है। श्री जैनेन्द्र कुमार के प्रभार पंजी का अवलोकन किया। यह पंजी अंचल अधिकारी के द्वारा सत्यापित नहीं है। मात्रा एक पन्ना पर 10 विषयों की प्रविष्टि की गयी है। मजदूर का प्रभार में रहनेवाले सहायक को विभिन्न बैंकों एवं अन्य माध्यमों से अनेकों पत्र अवश्य ही प्राप्त होते रहे होंगे उन सभी को इस पंजी में संधारित किया गया प्रतीत नहीं होता है। यह संबंधित सहायक की लापरवाही को परिलक्षित करता है। यही स्थिति प्रायः अन्य सहायकों की भी है। अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रधान सहायक सहित सभी सहायकों की प्रभार पंजी तैयार कराई जाय जिसमें उनके अधीन सभी अभिलेखों एवं अन्य कागजातों का विवरण दर्ज रहेगा। इसके अतिरिक्त स्थानान्तरण होने के पश्चात् प्रभार का आदान प्रदान कर में भी सुविधा होगी।

इस अंचल में स्थायी सामग्रियों की प्रभार पंजी नहीं संधारित की गयी है। यह संबंधित सहायक की लापरवाही को प्रदर्शित करता है। यह पंजी अत्यन्त ही महत्वपूर्ण पंजी है अतः इस संबंध में अंचल अधिकारी दुर्गावती को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर इसका संधारण कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय।

(13) आकस्मिक अवकाश पंजी

आकस्मिक अवकाश की पंजी संधारित है जिसमें सभी कर्मचारियों द्वारा लिये गये आकस्मिक अवकाश की प्रविष्टियां दर्ज की गयी हैं।

(14) कर्मपुस्त

इस कार्यालय में कार्यरत सहायकों के लिए अलग अलग कर्मपुस्त संधारित किया गया है जिसका अवलोकन किया और पाया कि श्री कुंवर प्रसाद श्रीवास्तव सहायक के कर्मपुस्त में कुल 106 पत्र प्राप्त हुए हैं। श्री बृजमोहन राय प्रभारी प्रधान सहायक के लॉगबुक में 29 पत्र श्री जैनेन्द्र कुमार के लॉगबुक में 6 एवं एक अन्य सहायक के लॉग बुक में कुल 31 पत्र अर्थात् कुल 172 पत्र वर्ष 2004 में चार माह की अवधि में प्राप्त हुए हैं। प्राप्त पत्रों के संधारण एवं इसके निष्पादन की प्रक्रिया पर असंतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि अंचल अधिकारी प्राप्त पत्रों एवं इसके निष्पादन की स्थिति की जांच कर प्रतिवेदन दें।

(15) लम्बित पत्रों की पंजी

बिहार अभिलेख हस्तक के नियम 14 के अनुसार लम्बित पत्रों की पंजी संधारित करना है। लेकिन इस कार्यालय में लम्बित पत्रों की पंजी नहीं संधारित की गयी है। इसपर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया गया कि पूर्व के लम्बित पत्रों को लाल रखा है। इसका संधारण सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन दें।

(16) संचिका गति पंजी

यह पंजी संधारित नहीं है । इस पंजी को संधारित करने हेतु पूर्व में निदेश दिये जा चुके हैं इसके बावजूद अनुपालन नहीं किया जा सका है । यह खेदजनक स्थिति है । निदेश दिया गया कि संचिका गति पंजी का संधारण सुनिश्चित करें ।

(17) वाहन का लौगबुक

संधारित नहीं है । बताया गया कि इस अंचल में न तो वाहन है और न ही चालक इसलिए वाहन का लौगबुक संधारित नहीं किया गया है ।

(18) रक्षी संचिका की पंजी

रक्षी संचिका की पंजी संधारित नहीं है । जिससे यह पता नहीं चल पाता है कि कार्यालय में कुल कितनी रक्षी संचिका खोली गयी है । यह पंजी प्रधान सहायक के पास रहती है । इस पंजी को संधारित नहीं किया जाना प्रधान सहायक को लापरवाही है । रक्षी संचिका की पंजी महत्वपूर्ण पंजी है । अंचल अधिकारी एक सप्ताह के अन्दर रक्षी संचिका की पंजी खोलकर उसमें अद्यतन प्रविष्टि दर्ज करावें तथा प्रधान सहायक इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें ।

इसके अतिरिक्त इस कार्यालय में पंजियों की पंजी, लोकसभा विधान सभा प्रश्नों से संबंधित पंजी संधारित नहीं है । मात्र व्यवहार न्यायालय एवं अनुमण्डलीय न्यायालय से संबंधित पंजी संधारित है । माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों से संबंधित पंजी नहीं संधारित है । निदेश दिया गया कि भिन्न भिन्न न्यायालयों से संबंधित पंजी अलग अलग संधारित किया जाय तथा उन न्यायालयों में चल रहे वादों की प्रविष्टि दर्ज की जाय एवं समय सीमा के अन्दर उचित पैरवी भी की जाय ताकि सरकार का पक्ष मजबूत रहे ।

(19) अंकेक्षण पंजी

इस अंचल में अंकेक्षण पंजी संधारित नहीं की गयी है जिससे यह पता नहीं चल पा रहा है कि कार्यालय में कितने अंकेक्षण आपत्ति है और उसमें से कितने का अनुपालन किया गया है । अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि अंकेक्षण पंजी खोलकर प्राप्त अंकेक्षण आपत्ति का निराकरण कर एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

(20) पंजियों की पंजी

इस अंचल में पंजियों की पंजी संधारित नहीं है जिससे यह पता नहीं चलता है कि कुल कितनी पंजियां खोली गयी हैं । अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर पंजियों की पंजी खोलकर अद्यतन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें साथ ही यह भी प्रतिवेदित करें कि अंचल में कुल कितनी पंजियां खोली गयी हैं ।

(21) सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान पंजी

यह पंजी संधारित नहीं की गयी है जिससे यह पता नहीं चल पा रहा है कि किस तिथि को कौन कर्मचारी सेवा निवृत्त हो रहे हैं । अंचल अधिकारी को आदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर पंजी संधारित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें साथ ही वर्ष 2005 तक सेवा निवृत्त होनेवाले कर्मचारियों की सूची जिला स्थापना शाखा को भेज दिया जाय ।

(22) लगान वसूली

द्विगत तीनवर्षों में भूलगान मद में की गयी वसूली की समीक्षा की गयी रिश्तते निम्नप्रकार हैं :-

क्र०	वर्ष	मांग			वसूली			प्रतिशत
		बकाया	हाल	योग	बकाया	हाल	योग	
1	02.03	25706.58	506533.54	532240.12	25706.58	505347.43	531054.00	साढ़े 99
2	03.04	172908.03	507841.97	680750.00	172908.03	507541.97	680450.00	100 प्र०
3	04.05	300.00	507541.97	507841.97	300.00	33200.00	33500.00	6 प्र०

लगान रसीद पंजी एवं वितरण पंजी का अवलोकन किया । लगान रसीद की मूल प्रति रयतों को दी जाती है लेकिन कार्बन प्रति कर्मचारी के पास रह जाती है जिसे कार्यालय में जमा करने का प्रावधान है लेकिन किसी भी कर्मचारी द्वारा रसीद को कार्बन प्रति कार्यालय में जमा नहीं किया गया है । यह बहुत ही गम्भीर बात है । अंचल अधिकारी का आदेश दिया गया कि वे शीघ्र इस जमा कराना सुनिश्चित करते हुए सूचित करें ।

(23) डिमाण्ड रजिस्टर

हल्कावार डिमाण्ड रजिस्टर तैयार किया गया है । जिसका अवलोकन किया गया और पाया गया कि यह पंजी हल्कावार संधारित नहीं है बल्कि अंचलवार तैयार किया गया है । रयतवार डिमाण्ड रजिस्टर तैयार किया गया है कि नहीं अंचल निरीक्षण ने बताया कि नहीं । इसपर अस्तंभ व्यक्त करते हुए मांग को अद्यतन करने हेतु कम्पाईलेशन शीट तैयार कराने की आवश्यकता बताई गयी । कहा गया कि रयतवार डिमाण्ड रजिस्टर तैयार किया जाय ।

(24) अतिक्रमण वाद पंजी

यह पंजी संधारित है जिसका अवलोकन किया गया और पाया गया कि इस पंजी में अतिक्रमण के 17 मामले लम्बित हैं। इन वादों का अवलोकन किया और पाया कि एक मामला दिनांक-08.09.99 को प्रारम्भ हुआ है जिसमें दिनांक-दिनांक-:0.04.2004 को सिर्फ नोटिस निर्गत करने का आदेश हुआ है। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। यह बहुत ही गम्भीर बात है। अचल अधिकारी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें। पुनः अभिलेख संख्या-02/02 का अवलोकन किया और पाया कि यह अभिलेख दिनांक-27.10.99 को प्रारम्भ हुआ है इसके बाद 30.05.2000 को रखा गया है इसके चार वर्ष बाद दिनांक-30.04.2004 को उपस्थापित किया गया है। किसी अतिक्रमण वाद को चार वर्ष तक उपस्थापित नहीं करना गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही का द्योतक है। संबंधित सहायक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करें तथा अचल अधिकारी भी स्पष्टीकरण दें।

अतिक्रमण वाद सं0-03/2000-2001 का अवलोकन किया और पाया कि यह वाद दिनांक-02.11.99 को प्रारम्भ होकर दिनांक-28.12.99 को उपस्थापित किया गया है। इसके बाद लगभग पांच वर्ष की अवधि बीत चुकी है लेकिन अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका है। यह स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है। अचल अधिकारी को आदेश दिया गया कि अतिक्रमण के सभी अभिलेखों की जांच कर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें।

(25) दाखिल खारिज पंजी

दाखिल खारिज पंजी(पंजी 27) संधारित की गयी है जिसका अवलोकन किया और पाया कि वर्ष 2003-2004 में कुल 1009 मामले दायर किये गये थे जिसमें से 986 मामले निष्पादित दिखाये जा रहे हैं परन्तु किसी भी अभिलेख का निष्पादन अन्तिम रूप से नहीं किया गया है। किसी भी अभिलेख में जमाबन्दी कायम करने के पश्चात शुद्धि पत्र नहीं लगाया गया है और न ही अभिलेख का अन्तिम रूप से निस्तार ही किया गया है। शेष 23 मामले अभी लम्बित हैं। यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित नहीं है। दाखिल खारिज से संबंधित प्राप्त आवेदन पत्रों को पंजीबद्ध करके यथासम्भव उसका निष्पादन शिविर में ही करने का प्रयत्न किया जाय क्योंकि दाखिल खारिज राजस्व संबंधी कार्यों के महत्वपूर्ण दायित्वों में से एक है। अचल अधिकारी विहित प्रपत्र में पंजी का संधारण सुनिश्चित करावे और अनुपालन प्रतिवेदन दें। अभी बहुत से दाखिल खारिज के मामले लम्बित हैं क्योंकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा आयोजित जनता दरबार में अक्सर लोगों द्वारा यह शिकायत की जाती है कि उनका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। अतः अचल अधिकारी सभी हल्कों में व्यापक प्रचार प्रसार कराकर आवेदन आमंत्रित करें एवं हल्कों में ही शिविर लगाकर उसका निष्पादन करें। इस कार्य में जन प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाय।

(26) सरकारी जमीन की बन्दोबस्ती :-

इस अंचल में कुल 932.27 एकड़ सरकारी जमीन है जिसमें से 351.60 एकड़ जमीन बन्दोबस्ती योग्य है । इसमें से 208.16 एकड़ जमीन पूर्व से बन्दोबस्त है । लगभग 110.78 एकड़ जमीन की बन्दोबस्ती का प्रस्ताव गृहस्थल एवं सुयोग्य व्यक्तियों को बन्दोबस्ती हेतु तैयार किया गया है । निदेश दिया गया कि अभियान के रूप में बन्दोबस्ती हेतु तैयार किये गये प्रस्तावों में सन्निहित भूमि का नैतिक सत्यापन अविलम्ब कर लिया जाय और सत्यापन प्रतिवेदन जिला राजस्व शाखा को उपलब्ध कराया जाय ताकि बन्दोबस्ती के बाद किसी तरह का विवाद उत्पन्न होने की सम्भावना न रहे ।

(27) भूविवाद पंजी

यह पंजी संधारित नहीं की गयी है । पंजियों के संधारण हेतु पूर्व में ही दिशा निदेश दिये जा चुके हैं । निदेश दिया गया कि दिये गये निदेशों के अनुरूप इसका संधारण किया जाय ।

(28) नीलाम पत्र वाद पंजी

नीलाम पत्र वाद से संबंधित पंजी IX संधारित नहीं है । निदेश दिया गया कि प्रपत्र IX में नीलाम पत्र वाद पंजी संधारित की जाय ।

(29) न्यूनतम मजदूरी

न्यूनतम मजदूरी पंजी संधारित नहीं है । अंचल कार्यालय में न्यूनतम मजदूरी पंजी का संधारण आवश्यक है जिसमें तत्संबंधी मामले दर्ज किये जायेंगे । अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि इस पंजी का संधारण करावें एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि अधिक से अधिक मामले अंचल अधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय में ही दायर करें ताकि मामलों का निष्पादन शीघ्र हो सके एवं पीडित मजदूरों को न्याय सुलभ हो सके ।

(30) भूदान पंजी

भूदान पंजी संधारित नहीं है । पृष्ठ जाने पर बताया गया कि भूदान में कुल 53.39 एकड़ जमीन प्राप्त हुई थी जिसका वितरण कर दिया गया है वर्तमान में भूदान से संबंधित कोई जमीन वितरण हेतु अपरोप नहीं है ।

(31) व्यवसायिक लगान

यह पंजी संधारित नहीं है। बताया गया कि इस अंचल में कुल 18 ईट भट्टे थे जिसमें से कुछ बन्द हो गये हैं। क्या सभी ईट भट्टे वाणिज्यकर विभाग से निबंधित हैं बताया गया कि नहीं। अंचल अधिकारी का निर्देश दिया गया कि इस अंचल में चल रहे सभी ईट भट्टों की जांच कर ली जाय एवं जो वाणिज्यकर विभाग से निबंधित नहीं है उन्हें निबंधित कराया जाय तथा की गयी कार्रवाई से अवगत कराया जाय। विगत तीन वर्षों में व्यवसायिक लगान के मद में लक्ष्य एवं उपलब्धि की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र०	वर्ष	माग			वसूली		
		बकाया	हाल	योग	बकाया	हाल	योग
1.	02-03	769788.25	100210.00	667998.25	20366.00	---	20366.00
2.	03-04	847632.25	100210.00	947842.25	11856.00	---	11856.00
3	04-05	935986.25	100210.00	1036196.25	---	---	---

उपरोक्त विवरणी स्पष्ट करती है कि इस मद में व्यवसायिक लगान की वसूली की प्रगति अत्यन्त ही निराशाजनक है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत इस मद में 1036196.25 पैसे की वसूली करनी है। निर्देश दिया गया कि इसमें अपेक्षित सुधार लाया जाय और लक्ष्य को पूरा किया जाय।

(32) लगान रसीद भंडार पंजी

यह पंजी संधारित नहीं है। इस पंजी का संधारण आवश्यक है ताकि यह पता चल सके कि राजस्व कर्मचारियों को पूर्व में कितने भौलूम हस्तगत कराये गये हैं तथा उनमें से कितने भौलूम का उपयोग किया गया है, किस पेज संख्या से किस पेज संख्या तक उपयोग किया गया है, कितने भौलूम लौटाये गये हैं, कितने पेज रद्द किये गये, अभी संबंधित कर्मचारियों के पास कितने भौलूम अवशेष हैं एवं वर्तमान में कितना भौलूम निर्गत किया जा रहा है। इस कार्रवाई से लगान रसीद वही के दुरुपयोग किये जाने की सम्भावनास इन्कार नहीं किया जा सकता है। अंचल निरीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि विहित प्रपत्र में इस पंजी को संधारित कराते हुए एक पक्ष के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

(33) लगान निर्धारण पंजी

यह पंजी संधारित है जो अत्यन्त ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है एवं उसमें सभी आवश्यक प्रविष्टियां अंकित नहीं की गयी हैं। निर्देश दिया गया कि मरम्मत कराकर सभी आवश्यक प्रविष्टियां अंकित करते हुए लगान निर्धारण पंजी का संधारण किया जाय।

(34) सैरात पंजी

सैरात पंजी संघारित है लेकिन विहित प्रपत्र में नहीं है। इस पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस अंचल में कुल 30 पैरेनियल एवं 84 नन पैरेनियल सैरात है। बताया गया कि नन पैरेनियल सैरात बिहार सरकार के आदेश के आलोक में पृष्ठ में ही नत्स्य विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है। अब अंचल में कुल 30 पैरेनियल (फलकर) सैरात है जिसमें से तीन पैरेनियल सैरात को सैरात सूची से हटाने के लिए संसूचित किया गया है क्योंकि अब कोई फलकर वृक्ष नहीं रह गया है। इस प्रकार अब इस अंचल में मात्र 27 फलकर सैरात रह गये हैं जिसको बन्दोबस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। सभी फलकर वृक्ष आम के हैं। निवेदन दिया गया कि सभी सैरातों को बन्दोबस्त कर दिया जाय।

(35) बेदखली पंजी

यह पंजी संघारित नहीं की गयी है। बताया गया कि बेदखली से संबंधित कोई नानला प्रकार में नहीं आया है।

(36) भूहदबन्दी पंजी

यह पंजी संघारित है लेकिन विहित प्रक्रियानुसार उसमें आवश्यक प्रविष्टि अंकित नहीं की गयी है। समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि कुल अर्जित भूमि 277.51 एकड़ है जिसमें से 101.22 एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है। 133.00 एकड़ भूमि विलोपित घोषित है तथा 138.29 एकड़ का मामला विभिन्न न्यायालयों में लम्बित है।

(37) रोकड पंजी

बिहार कोषागार संहिता के नियम 86 की कडिका-1 के अनुसार सामान्य रोकड वही संघारित है। रोकड पंजी का अवलोकन किया और पाया कि दरान पित्त आयोग की 41600/-रूपये की राशि पडी हुई है लेकिन अंचल अधिकारी को यह मालूम ही नहीं है कि इस राशि का क्या करना है। पूछे जाने पर नाजिर के द्वारा बताया गया कि पास बुक के आधार पर प्रभार ग्रहण किया है। इसके पूर्व श्री गिरिजा शंकर प्रसाद अंचल अधिकारी के रूप में पदस्थापित थे जो वर्तमान समय में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जयनगर (मधुबनी) के पद पर पदस्थापित हैं बिना प्रभार दिये ही चले गये हैं। उक्त अवधि में नाजिर के रूप में श्री दशरथ प्रसाद लिपिजि गिरा ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल भन्सुआ पदस्थापित थे जो वर्तमान में सेवा निवृत्त हो चुके हैं के द्वारा प्रभार नहीं देने के कारण पासबुक के आधार पर प्रभार लेकर कार्य किया जा रहा है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। भूमि सुधार रूप समाह्वत माहनिष के आदेश दिया कि वे स्वयं दुर्गावती अंचल कार्यालय में जाकर आलमौरा का ताला तोड़वाकर पृष्ठ से से रखे गये काराजाती का हटाया तयार कराने के पश्चात उक्त रोकड वही से वर्तमान रोकड पंजी का मिलान कराकर नियमित संधारण सुनिश्चित कराये। यदि किसी कि लापरवाही एवं उदासीनता से इस कार्य में प्रगति नहीं होती है तो उनके विस्तृत कार्रवाई की जायेगी। अंचल अधिकारी इसपर विशेष ध्यान देंगे।

वर्तमान नाजिर के पास मौजूद रोकड पंजी के अनुसार अवशेष राशि 758099.99 पैसा दिखाया गया है जिसका निरीक्षण की तिथि तक शीर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	शीर्ष का नाम	अवशेष राशि
1	विविध	
2	2029-भू राजस्व	324614=25
3	पेंशन	5174=74
4	2055 पुलिस	---
5	राज्य वृद्धावस्था पेंशन	---
6	2235 सामाजिक सुरक्षा पेंशन	141375=00
7	2245-6245 साहाय्य	---
8	बैंक से प्राप्त सूद	---
9	पारिवारिक लाभ	244850=00
10	मातृत्व लाभ	---
11	दशम वित्त आयोग	285=00
12	निर्वाचन	41800=00

उपर्युक्त राशि का वर्गीकरण बैंकवार निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक डिंडखिली	3445	44748=00
2	इलाहाबाद बैंक दुर्गावती	6492	140298=65
3	भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक चेहरियां	3675	134667=00
4	पंजाब नेशनल बैंक खजुरा	2530	77589=30
5	भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक दुर्गावती	797	220480=00
6	पंजाब नेशनल बैंक कपिलासपुर	4708	7616=00
7	भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक कर्मनाशा	4878	11456=00
8	सी.सी. बैंक दुर्गावती	2119	1750=00
9	इलाहाबाद बैंक दुर्गावती	9837	41800=00

कुल--	680401=95
अग्रिम--	---
अभिभव की राशि--	56138=99
सिंगल लॉक--	21558=05
कुल योग--	758099=99

इस कार्यालय में रोकड पंजी की स्थिति उलझी हुई है। अंचल अधिकारी को आदेश दिया गया कि पत्र के माध्यम से श्री गिरिजाशंकर प्रसाद तत्कालीन अंचल अधिकारी एवं श्री दशरथ प्रसाद तत्कालीन नाजिर को सूचना भेजकर बन्द अलमोरा में रखे गये सनी कागजातों का प्रभार वर्तमान नाजिर को प्राप्त करा दिया जाय ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।

(38) अभिभव

अभिभव पंजी संधारित की गयी है। इस पंजी के अनुसार कुल 56138=99 पैसा अभिभव में सन्निहित है। इसका वर्षवार/विषयवार/शीर्षवार वर्गीकरण नहीं किया गया है जिससे यह पता नहीं चलता है कि किस शीर्ष में कितने राशि की समायोजन हेतु आवश्यकता है। अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया वर्षवार/विषयवार/शीर्षवार सनी अभिभवों को वर्गीकृत कर यदि राशि उपलब्ध हो तो समायोजित करे अथवा जिला स्तर से मांग करे ताकि तदनुसृत आवंटन की मांग सरकार से की जा सके।

(39) अभिधारी खाता पुस्तिका

इस अंचल में कुल 108 राजस्व ग्राम हैं जिसमें से 40 ग्रामों को चयनित किया गया है। चयनित 40 ग्रामों में 24 ग्रामों की अभिधारी खाता पुस्तिका तैयार कर 1863 रैयतों को वितरित की गयी है। बताया गया कि दो ग्रामों का खाता पुस्तिका तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। चार ग्राम का खाता पुस्तिका तैयार है जो कर्मचारी के पास है।

समाहर्ता द्वारा निदेश दिया गया कि दाखिल खारिज, अतिक्रमण, बेदखली, सरकारी जमीन की बन्दोबस्ती एवं दासगी, आदि राजस्व शाखा के अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य हैं। इनपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मुख्यालय में आवास रखने के संबंध में मुख्य सचिव बिहार सरकार द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में निदेश दिया गया कि सभी कर्मचारी मुख्यालय में ही अपना आवास रखकर सरकारी कार्यों का सम्पादन करें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

निदेश दिया गया कि इस अंचल में हल्का कचहरी कहाँ कहाँ है, इस संबंध में जानकारी दी जाय कि किस हल्का में हल्का कचहरी का भवन है लेकिन जीर्ण शीर्ष स्थिति में है, किस हल्का में हल्का कचहरी के लिए जमीन है लेकिन भवन नहीं है, किस हल्का में भवन एवं जमीन दोनों नहीं है इसका विवरण उपलब्ध कराया जाय। इसके साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि किस किस ग्राम का नक्शा एवं खतियान उपलब्ध नहीं है इस बारे में भी सूचना दी जाय।

(40) जन शिकायत पंजी

जन शिकायत पंजी संघारित की गयी है। जिला स्तर से भेजे गये पत्रों के बारे में पूछे जाने पर बताया गया कि प्राप्त सभी पत्रों को निष्पादित कर दिया गया है। निदेश दिया गया कि निष्पादन के सूचना जिला मुख्यालय को भी दी जाय तथा पदाधिकारी वर अलग अलग जनशिकायत पंजी का संघारण किया जाय। इसके साथ ही निष्पादन की सूचना संबंधित आवेदक को भी देना है। यह स्पष्ट किया गया कि जन शिकायत से संबंधित मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाय एवं कार्यों में पारदर्शिता लाई जाय।

(41) साफ सफाई

कार्यालय के भवन की स्थिति ठीक है लेकिन कार्यालय में संघारित कागजातों को व्यवस्थित ढंग से नहीं रखा गया है। अंचल कार्यालय के बहुत सारे कागजात एवं अभिलेख स्टोर में यत्रा तत्रा रखे हुए पाये गये। ऐसा प्रतीत होता है कि सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि स्टोर में रखे गये सभी अभिलेखों की विषयवार एवं वर्षवार सूची बनाकर तालरंग के कपडे में बांधकर रखा जाय।

(43) मंतव्य


कुल मिलाकर अंचल कार्यालय दुर्गावती का कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है। पंजियों/अभिलेखों का संघारण सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी को आपसी समन्वय स्थापित कर कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निदेशों का अनुपालन निर्धारित समय सीमा के अन्दर किया जाता है तो कार्यालय कार्य में गुणात्मक सुधार आने की सम्भावना है। व्यवसायिक लगान, सैरात की वन्दोबस्ती/वसूली/भौतिक सत्यापन, दाखिल खारिज, खाता पुस्तिका का वितरण हल्कों में शिविर लगाकर किये जाने की आवश्यकता है। नियमित रूप से कार्यालय की साफ सफाई एवं कार्य में पारदर्शिता लाये जाने की आवश्यकता है।

समाहर्ता एवं जिलाधिकारी,
कन्नूर(भभुआ)

ज्ञापक- XX-04/04-1252/गौ०

दिनांक- 18.06.2004

- प्रतिलिपि - मुख्य सचिव बिहार सरकार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
 प्रतिलिपि - सदस्य राजस्व पर्यद बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
 प्रतिलिपि - सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
 प्रतिलिपि - आयुक्त, पटना प्रमण्डल की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
 प्रतिलिपि - अपर समाहर्ता कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
 प्रतिलिपि - अनुमण्डल पदाधिकारी मोहनियां / को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
 प्रतिलिपि - भूमि सुधार उप समाहर्ता मोहनियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
 प्रतिलिपि - अंचल अधिकारी दुर्गावती को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।
 प्रतिलिपि - अनुमण्डल पदाधिकारी भभुआ एवं अन्य सभी अंचल अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


 समाहर्ता एवं जिलाधिकारी,
 कैमूर(भभुआ)